**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं.2989**

**उत्तर देने की तारीख 21.03.2018**

**प्रति जिला पी॰एम॰ई॰जी॰पी॰ परियोजना**

**2989. श्री विवेक गुप्ताः**

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 676 जिलों में से सिर्फ 200 जिलों ने प्रतिजिला 75 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी॰एम॰ई॰जी॰पी॰) परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया है;

(ख) यदि हां, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग जैसी कार्यान्वयन एजेन्सियों की निगरानी करने के लिए उठाए कदमों सहित इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पी॰एम॰ई॰जी॰पी॰ के तहत ऐसी कितनी इकाइयां स्थापित की गईं जो तीन वर्षों से अधिक समय तक चलीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयां बन गईं, विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री गिरिराज सिंह)**

**(क) और (ख)** वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 266 जिलों ने 75 परियोजनाओं का लक्ष्य प्राप्त किया है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत लक्ष्य मार्जिन मनी आबंटन के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं। वास्तविक परियोजनाओं के लिए लक्ष्य समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के संकेत हैं। लक्ष्यों के समान वितरण करने एवं समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति जिला न्यूनतम 75 परियोजनाओं का लक्ष्य प्रति परियोजना 2.00 लाख रु. (परियोजना लागत 8-10 लाख रु.) की औसत मार्जिन मनी से सभी जिलों को आबंटित किया गया है।

प्रत्येक जिले के लिए 75 इकाइयों के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। राज्य सरकार के प्रधान सचिवों से स्कीम की समय-समय पर निगरानी करने के लिए अनुरोध किया जाता है। संबंधित जिले के माननीय संसद सदस्यों की अध्यक्षता मेंजिला स्तरीय सलाहकार समितियां भी स्कीम की निगरानी करती हैं। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं जहाँ कहीं कम उपलब्धि देखी गई है। संबंधित राज्यों के एसएलएमसी के समय वित्तपोषणबैंक शाखाओं को कम कार्य निष्पादक जिलों में अधिक पीएमईजीपी परियोजनाएं स्वीकृत करने की सलाह दी जाती है। जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर जागरूकता कैम्प भी सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए पीएमईजीपी स्कीम के प्रचार के उद्देश्य से लगाए जा रहें हैं।

**(ग)** विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष (28.02.2018 तक) के लिए राज्यवार पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित इकाइयों की संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

**अनुबंध-I**

**दिनांक 21.03.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.2989 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18**  **(28.02.2018 की स्थिति के अनुसार)** |
| 1 | जम्मूऔरकश्मीर | 1565 | 2207 | 1492 | 2900 |
| 2 | हिमाचलप्रदेश | 1244 | 1077 | 941 | 612 |
| 3 | पंजाब | 1153 | 966 | 1266 | 1187 |
| 4 | चंडीगढ़ | 36 | 43 | 47 | 33 |
| 5 | उत्तराखंड | 1333 | 1136 | 1345 | 1059 |
| 6 | हरियाणा | 1175 | 1248 | 1377 | 1289 |
| 7 | दिल्ली | 198 | 256 | 119 | 68 |
| 8 | राजस्थान | 1976 | 1988 | 1749 | 1172 |
| 9 | उत्तरप्रदेश | 4891 | 4365 | 4074 | 4256 |
| 10 | बिहार | 1639 | 2430 | 3234 | 1427 |
| 11 | सिक्किम | 16 | 110 | 27 | 25 |
| 12 | अरुणाचलप्रदेश | 652 | 35 | 301 | 142 |
| 13 | नगालैंड | 416 | 623 | 1018 | 863 |
| 14 | मणिपुर | 747 | 685 | 1265 | 376 |
| 15 | मिजोरम | 817 | 1134 | 425 | 137 |
| 16 | त्रिपुरा | 787 | 642 | 2297 | 688 |
| 17 | मेघालय | 555 | 603 | 329 | 53 |
| 18 | असम | 5015 | 3483 | 6028 | 1625 |
| 19 | पश्चिमबंगाल | 3397 | 1873 | 3528 | 1222 |
| 20 | झारखंड | 1699 | 1839 | 1300 | 677 |
| 21 | ओडिशा | 2013 | 2876 | 3029 | 1768 |
| 22 | छत्तीसगढ़ | 847 | 1277 | 1598 | 1013 |
| 23 | मध्यप्रदेश | 2737 | 1979 | 1940 | 1224 |
| 24 | गुजरात | 1289 | 1419 | 1386 | 1559 |
| 25 | महाराष्ट्र | 3469 | 2497 | 2325 | 2529 |
| 26 | आंध्रप्रदेश | 937 | 642 | 1357 | 1342 |
| 27 | तेलंगाना | 604 | 660 | 664 | 934 |
| 28 | कर्नाटक | 2431 | 2140 | 3575 | 1784 |
| 29 | गोवा | 78 | 91 | 90 | 38 |
| 30 | लक्षद्वीप | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | केरल | 1344 | 1369 | 1584 | 891 |
| 32 | तमिलनाडु | 2858 | 2463 | 2941 | 3011 |
| 33 | पुडुचेरी | 58 | 65 | 66 | 36 |
| 34 | अंडमान और निकोबारद्वीपसमूह | 161 | 119 | 195 | 169 |
|  | **कुल** | **48168** | **44340** | **52912** | **36109** |